निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 03/2024 (धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955)

राज्य सरकार जरिये ज्योति सुण्डा, प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम।

प्रार्थी

बनाम

श्री रामेश्वर लाल गोयल पुत्र श्री सूरज मल, निवासी प्लाट नम्बर 4, राधे विहार, गोविन्दपुरा, जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्त शुदा 01 घरेलू गैस सिलेण्डर बी.पी.सी.एल. 01 इलेक्ट्रिक मोटर रबड पाईप मय नोजल को साजसात (Confiscate) करने बाबत ।

उपस्थित:–

1. विभागीय पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक 01.04.2025

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम से प्राप्त निर्देश की पालना में घरेलू गैस के व्यावसायिक उपयोग की सूचना प्राप्त होने पर प्रार्थी बहमराह प्रवर्तन स्टाफ के दिनांक 24.01.2024 को प्लाट नम्बर 01, श्री राधे विहार गोविन्दपुरा, जयपुर की जांच की गई। परिसर की जांच करने पर 02 घरेलू गैस सिलेण्डर बी.पी.सी.एल. एवं एक इलेक्ट्रिक मोटर मय पाईप जिसके दोनो ओर नोजल लगा हुआ पोर्च में पाये गये एवं 01 घरेलू सिलेण्डर धर की रसोई में लगा पाया गया। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर इलेक्ट्रिक मोटर मय पाईप माध्यम से गाडियों में एल.पी.जी. भरने का कार्य किया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा वाहनो में एल.पी.जी. का अवैध स्थानान्तरण कर व्यावसायिक उपयोग करना पाये जाने से 14.2 किलोग्राम क्षमता का एक धरेलू गैस सिलेण्डर बी.पी.सी.एल. एवं एक इलेक्ट्रीक मोटर मय रबड पाईप मय नोजल को जब्त किया गया है, जिनको राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एव जब्त गैस सिलेण्डर की एलपीजी ज्वलनशील, विस्फोटक एवं जनहित के काम आने वाली वस्तु होने से धारा 6–ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त सिलेण्डर की एलपीजी ज्वलनशील विस्फोटक एवं जनहित की वस्तु होने से धारा 6–ए, (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश दिनांक 06.02.2024 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर्स का नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण कराया जाकर पालना प्रतिवेदन भिजवावें। नोटिस अप्रार्थी को जारी किये गये। अप्रार्थी दिनांक 27.08.2024 को स्वयं उपस्थित हुआ किन्तु आगामी पेशी पर उपस्थित नहीं हुआ। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस पैरोकर रसद सुनी गई।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

4. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्लाट नम्बर 01, श्री राधे विहार गोविन्दपुरा, जयपुर की जांच की गई। परिसर की जांच करने पर 02 घरेलू गैस सिलेण्डर बी.पी.सी.एल. एवं एक इलेक्ट्रिक मोटर मय पाईप जिसके दोनो ओर नोजल लगा हुआ पोर्च में पाये गये एवं 01 घरेलू सिलेण्डर धर की रसोई में लगा पाया गया। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर इलेक्ट्रिक मोटर मय पाईप माध्यम से गाडियों में एल.पी. जी. भरने का कार्य किया जाता है। मौके पर मैसर्स राजेन्द्र गैस एजेन्सी के जयपुर के प्रतिनिधि श्री मोहन लाल कुमावत पुत्र श्री कजोड मल कुमावत को बुला कर तौल कराया गया। तौल कराने पर सिलण्डर खाली पाया गया। अप्रार्थी द्वारा वाहन में एल.पी.जी. का अवैध स्थानान्तरण कर व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया है। मौके पर अप्रार्थी द्वारा 02 घरेलू सिलेण्डर के दस्तावेज पेश किये गये किन्तु 01 घरेलू सिलेण्डर बी.पी.सी.एल. बाबत न तो कोई वैद्य दस्तोवज पेश किया गया और न ही अवैद्य भण्डारण के संबंध में कोई संतोषजनक जबाब दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा सामग्री को राजसात (Confiscate) करने के आदेश फरमावे।

5. पैरोकर रसद की बहस को गौर से सुना । पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 24.01.2024 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

6. प्रार्थी द्वारा जब्त किये गये सिलेण्डर्स के समर्थन में मौके पर कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये। दौराने जांच 01 घरेलू गैस सिलेण्डर बी.पी.सी.एल. से अवैध रूप से वाहनो में गैस स्थानान्तरण कर वाणिज्यिक उपयोग करते पाया गया। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरर्स का वाणिज्यिक उपयोग किये जाने की पुष्टि होती है। घरेलू एल॰पी॰जी॰ कम कीमत पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है, जिसका व्यावसायिक उपयोग किया जाना वर्जित है, इसके बावजूद अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से एल.पी.जी. का अवैध व्यावसायिक उपयोग करते हुये पाया गया है। उक्त कृत्य के पीछे अप्रार्थी की अवैध मुनाफा की आपराधिक मनःस्थिति एवं बदनियती स्पष्ट जाहिर होती है। इसलिए जब्त सिलेण्डर्स मय एलपीजी को राजसात किया जाना वाजिब समझते है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी के कब्जे से जब्त 01 घरेलू गैस सिलेण्डर बी.पी.सी.एल. 01 इलेक्ट्रिक मोटर रबड पाईप मय नोजल को राजसात (Confiscate) किये जाने के आदेश दिये जाते है।

8. जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में दिनांक 06.02.2024 को अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश दिये गये है तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करें।

9. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित हो । पत्रावली फैसल शुमार हो कर दर्ज नम्बर से कम हो।

10. निर्णय आज दिनांक 01.04.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner